भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय
Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research
(भर्ती अनुभाग Recruitment Section)

1-10-153-156,
पखनि कांप्लेक्स ,AMD Complex,
बेगमपेट Begumpet,
हैदराबाद Hyderabad-500 016.

फाइल संख्या File No.:पखनिAMD-1/2/2024- भर्ती Rectt./ 1029 July 09 , 2024.

सेवा में To,

MR. AMIT JOSHI
LOHARIYASAAL TALLA GALI NO 11
UNCHAPUL HALDWANI
NAINITAL, UTTARAKHAND – 263 139

विषय/ Sub: बीएआरसी प्रशिक्षण विद्यालय, एएमडी परिसर, हैदराबाद में एक वर्षीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम (ओसीईएस-2024) में प्रवेश । Admission to the One Year Orientation Course (OCES-2024) – BARC Training School, AMD Campus, Hyderabad.

शैक्षिक शाखा Discipline : **भूविज्ञान / Geology**

****

Dear Candidate,

आपको सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपके साक्षात्कार के आधार पर बीएआरसी प्रशिक्षण विद्यालय, पखनि परिसर, हैदराबाद के OCES-2024 में उक्त शिक्षण में प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों पर आपका अस्थायी रूप से चयन किया गया है I am happy to inform you that on the basis of your interview, you have been provisionally selected for admission to the OCES-2024 of the BARC Training School, AMD Campus, Hyderabad in the above discipline on the following terms and conditions:

ए) a) प्रवेश हेतु गठित मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपको प्रवेश दिया जाएगा । आपका चयन इस कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए वेब साईट पर जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता मानदंडो के अनुसार वांछित आवश्यकताओं को पूरा करने पर ही किया जाएगा | Your admission to the Training Course shall be subject to your clearing the Medical Examination conducted by the Medical Board being constituted for the purpose. Your selection is also subject to meeting all requirements of the eligibility criteria as mentioned in the advertisement on web-site inviting applications for this programme.

बी) b) प्रशिक्षण की अवधि 01/08/2024 से 31/07/2025 तक की होगी । प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको प्रति माह ₹55,000/- (पचपन हजार मात्रकी छात्रवृत्ति दी जाएगी । The duration of the training will be from 01/08/2024 to 31/07/2025. During the period of training, you will be paid a monthly stipend of Rs. 55,000/- (Rupees Fifty-five thousand only).

सी) c) आपको करार एवं क्षतिपूर्ति अनुबंध पत्र का पालन करना होगा । करार और क्षतिपूर्ति-पत्र दोनों की -पत्र के निर्धारित प्रपत्र की दो प्रतियाँ संलग्न है । करार एवं अनुबंध-अनुबंध विधिवतरूप से भरी हुई प्रतियां जिसपर आपके स्वयं के हस्ताक्षर हों और दो राजपत्रित अधिकारियों या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होंअपने प्रवेश के समय साथ लाएं अन्यथा , शिक्षण विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा ।प्र You shall execute an Agreement and also an indemnity Bond. The prescribed proforma of the agreement and the Bond are enclosed in duplicate. You must bring both documents of the agreement and the Bond duly completed and signed by yourself and witnessed by two Gazetted Officers or Magistrates with their official seals affixed at the time of your reporting for admission, failing which you will not be admitted to the Training School.

डी) d) कार्यग्रहण के समय आप प्रस्तुत करें You shall produce at the time of joining:

(i) दसवीं कक्षा से आगे के मूल प्रमाणपत्र व अंकसूचियां एवं उनकी अनुप्रमाणित प्रतियाँ जो आपकी शैक्षिक योग्यता GATE ,के प्राप्तांक ,(यदि लागू हो)जन्मतिथि 10)वीं या वीं 12 तथा निर्धारित प्रपत्र में वैध जाति प्रमाणपत्र (जन्मतिथि दर्ज हो कक्षा के प्रमाणपत्र जिसमें की पुष्टी करती हों । (यदि लागू हो) Original certificates and marks sheets from Class X onwards and their self-attested copies in support of your academic qualifications, GATE Score (if applicable) date of birth (Class X or XII original certificates showing date of birth) and valid caste certificate in the prescribed format (if applicable)

(ii) अनुप्रमाणन फार्मों की ,विधिवत रूप से भरकर (रिक्त फार्म संलग्न) प्रतियां 10 में से किसी एक द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो । उल्लिखित प्राधिकारियों 10 sets of Attestation Forms (blank forms enclosed), duly completed and attested by any of the authorities mentioned therein. You have to bring Ten (10) passport size photographs.

(iii) कार्यग्रहण के समय विशेष सुरक्षा प्रश्नावली)5 प्रतियांभरनी होगी जिसके लिए पासपोर्ट (साइज के अपने फोटोग्राफ की 5प्रतियां लेकर आएं । (Special Security Questionnaire (5 sets) to be completed at the time of joining for which you have to bring Five (5) passport size photographs.

(iv) वैवाहिक स्थिति संबंधी घोषणा । Declaration regarding your marital status

(v) प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश के समय पहचान पत्र-जारी करने के लिए फ्रंट फेस की फोटो की तीन प्रतियां । Three copies of front face photograph for issue of identity card at the time of admission to the Training School.

(vi) वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त कार्यमुक्ति आदेशयदि लागू हो । , Relieving order from the present employer, if applicable.

ई) e) कृपया ध्यान दें कि पाठ्यक्रम में आपके कार्यग्रहण के दिन कार्यग्रहण प्रवेश के (तारीख पर)) समय यदि आपकी अर्हता डिग्रीM.Sc./M.Sc (Tech) आदिका परिणाम उपलब्ध नहीं है (-OCES तो2024 में आपका प्रवेश अस्थायी होगा और यदि **31/12/2024** तक आप अंतिम परिणाम निरस्त प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश (पूरे पात्रता मानदंड के साथ) हो जाएगा । प्रशिक्षण अवधि के दौरान दी जाने वाली छात्रवृत्ति केवल अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने पर उस में प्राप्त अंकों के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर प्रवेश की तारीख) दी जाएगी । (से पूर्व प्रभाव के साथ Please note that if the result of your qualifying degree (M.Sc./ M.Sc (Tech) etc.) is not available, as on the date of your joining the course, your admission to the OCES-2024 will be provisional and if you do not submit the final results (with complete eligibility criteria) by **31/12/2024**, your admission will be cancelled. The stipend during the training period will also be paid (retrospectively with effect from the date of joining) only on submission of final result subject to obtaining the prescribed minimum percentage of marks.

एफ) f) प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा । You shall not be paid any traveling allowance for your journey undertaken to join the Training School.

जी) g) कार्यग्रहण के समय आपको सत्यनिष्ठा पूर्वक भारत के संविधान के प्रति राष्ट्र भक्ति एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होगी । You shall take an oath or make solemn affirmation of allegiance to the Constitution of India and also take an oath of secrecy at the time of joining.

एच) h) परमाणु ऊर्जा विभाग को सेवा देने की अनुबंधित बाध्यता अवधि के दौरान एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार सहित किसी भी प्रतियोगीता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । आपको कार्य के अनुबंधित बाध्यता अवधि के दौरान अथवा प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी पद / छात्रवृत्ति / शिक्षावृत्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इस विषय पर आपको वचनदेना होगा । जिस परीक्षा शिक्षावृत्ति हेतु आपने आवेदन किया है उनका / छात्रवृत्ति / साक्षात्कार / अविलंब वापिस लें और वापिस लेने लिखित विवरण हमें भेजें और उन सभी आवेदनों को वाले पत्रों की प्रतिलिपियां इस कार्यालय को रिकार्ड हेतु प्रेषित करें । You shall not be permitted to appear for any competitive examination or interview including those conducted by the UPSC during the period of training and during the period of contractual obligation to serve the Department of Atomic Energy. You shall also not be permitted to apply for any post/scholarship/fellowship either during the period of training or during the period of contractual obligation. You should give an undertaking to this effect. You shall also inform us in writing the details of the examination/ interviews/scholarships/fellowships you have applied for and withdraw immediately all such applications forthwith and mark copies of such withdrawal letters to this office for record.

आइ) i) आपकी प्रशिक्षणावधि के दौरान आप विभाग के सीएचएसएस के अधीन ,प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही चिकित्सा के आधार पर दिन का 12 अवकाश लेने के पात्र होंगे । During the period of your training, you will be entitled to only 12 days of leave on medical grounds as certified by an authorized medical attendant under CHSS of the Department.

जे) j) कक्षाओं एवं प्रयोगशाला फील्ड वर्क आदि में नियमित उपस्थिति अनिवार्य / वर्कशॉप फ्लोर / उपस्थिति कम होने पर उसके अनुपात में छात्रवृत्ति से कटौती कर ली जाएगी । ,है Regular attendance in the classes and laboratory/workshop floor/field work etc. is compulsory; failing which proportionate stipend will be deducted.

के) k) किन्हीं अपरिहार्य व्यक्तिगत कारणों के लिए बिना छात्रवृत्ति अवकाश हेतु आपको पहले ही आवेदन करना होगा । You are required to apply in advance for leave without stipend, for any unavoidable personal reasons.

एल) l) प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित अनुमोदित तकनीकी पुस्तकें खरीदने पर आप एक बार पुस्तक भत्ता रु1.8प्राप्त -/000, करने के हकदार होंगे । खरीदी गई पुस्तकें और नकद नसीदें प्रस्तुत करने पर ही आपको यह भत्ता दिया जाएगा । कार्यग्रहण के समय आपका अंतिम परिणाम प्राप्त ना होने परयह भत्ता पूरे पात्रता मानदंडों , सहित अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने के बाद ही प्रदान किया जाएगा ।
During the period of your training, you will be entitled to a one-time book allowance of Rs.18,000/- for the purchase of approved technical books pertaining to your training course. The allowance will be payable to you only on production of cash memos and books purchased. In case your final result is not ready at the time of joining, this allowance will be paid only after your submitting the final result with complete eligibility criteria.

एम) m) प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा छात्रावास में उपलब्ध की गई आवास एवं भोजन व्यवस्था अनिवार्य है तथा आपको छात्रावास के नियमों का पालन करना होगा । Boarding and lodging in the Hostel provided by the Training School are compulsory and you shall abide by the Hostel rules.

एन) n) चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए आप इस विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना समय पर लागू होने वाली दरों के -ग्रहण कर सकते हैं । जिसके लिए समय (सीएचएसएस) अनुसार आपकी छात्रवृत्ति से सुनिश्चित राशि की वसूली की जाएगी । You shall join the Contributory Health Service Scheme (CHSS) of this Department for extending medical facilities to you as per rules. A fixed monthly contribution at the rates in force from time to time will be recovered from your stipend for this purpose.

ओ) o) अनुशासन एवं वर्दी आदि से संबंधित समयसमय पर लागू होने वाले सभी नियम एवं - विनियमों काआपको अनुपालन करना होगा । You shall observe all rules and regulations regarding discipline, dress etc., as may be in force from time to time.

पी) p) आपको बिना कोई कारण बताए तथा बिना किसी नोटिस के प्रशिक्षण के समापन पर या प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी समय प्रशिक्षण कार्यक्रम से बरखास्त किया जा सकता है। You shall be liable to be discharged from the Training programme at any time during the period of training or at the conclusion of the Training without notice and without assigning any reason

क्यू) q) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा होने परआपको पूर्व में प्राप्त की गई किसी भी डिग्री के संदर्भ , निष्पादन और क्षमता के आधार पर -इत्यादि के बिना पूरे पाठ्यक्रम में केवल आपके कार्य आपको परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन किसी भीयूनिटपरियोजना में या परमाणु खनिज / अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के किसी भी क्षेत्र में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है । On successful completion of the training, you may be offered an appointment in any of the Regions of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research or in any of the other Units/Projects under the Department of Atomic Energy depending solely upon your suitability and performance throughout the course, without any reference to any degrees etc., that you might have obtained earlier.

आर) r) प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उक्त पद के वेतन का विवरण निम्नानुसार है: The details of the pay level of the post on successful completion of the training will be as indicated below:

वेतन मैट्रिक्स के लेवल– 10 : ` 56100 – 177500 और अन्य भत्ते

Pay Matrix Level – 10 : ` 56100 – 177500 and other allowances.

एस) s) यदि आप %50न्यूनतम अनिवार्य अंक प्राप्त कर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको वैज्ञानिक अधिकारी - सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही प्रशिक्षण हेतु आगे कोई और अवसर दिया जाएगा । In case you fail to complete the training course successfully by obtaining the minimum required 50% marks, you will not be absorbed as Scientific Officer-C and will not be getting any further chance to undergo the training again.

टी) t) इस निदेशालय में नियुक्ति की तारीख से आपके लिए वित्त मंत्रालयभारत सरकार की , 22.12.2003 ईसीबी एवं पीआर दिनांक - 2003/7/5 .अधिसूचना सं & अधिसूचना सं. 1/3/2016-PR dated 31/01/2019 के अधीन अधिसूचित नई अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होगी । You will be governed by the New Contributory National Pension System as notified by the Ministry of Finance, Government of India vide Notification No.5/7/2003-ECB&PR dated 22.12.2003 & Notification No.1/3/2016-PR dated 31/01/2019 from the date of your absorption in this Directorate.

2. यदि आपको उपर्युक्त निबंधन और शर्तें स्वीकार हैं तो अपनी स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र में) ,(भर्ती)सहायक कार्मिक अधिकारीपरमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय , 016 500-हैदराबाद ,बेगमपेटको यथाशीघ्र भेजें । आप अपना नामशिक्षण विषय आदि , द्वारा संप्रेषित कर सकते हैं .दूरभाष सं / फैक्स / मेल-विवरण बताते हुए निम्नलिखित ई If the above terms and conditions are acceptable to you, please communicate your acceptance (in the form attached) to the Assistant Personnel Officer (Recruitment), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Begumpet, Hyderabad – 500 016 at the earliest. The communication may be sent by E-mail/ Fax/ Telephone numbers mentioned below indicating the details such as your name, discipline etc.

ईमेल पता- E-Mail address : aporect.amd@gov.in

दूरभाष संख्या Telephone Nos. : 040-27776293
040-27776536

3. आप सहायक कार्मिक अधिकारी(भर्ती), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय बेगमपेट हैदराबाद को दिनांक ,**25/07/2024** को रिपोर्ट करें ताकि आपके मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकें । रिपोर्ट करने पर आपको , **नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र-हैदराबाद ,ईसीआईएल पोस्ट ,16** में मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा जाएगा । चिकित्सा परीक्षण के लिए एनएफसी परिसर में प्रवेश हेतु इस पत्र का गेटपास के रूप में प्रयोग होगा । You are required to report to the Assistant Personnel Officer (Recruitment), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Begumpet, Hyderabad on **25/07/2024** for verification of your original certificates and for completing the other required formalities. On reporting, you will be sent for medical examination by a Medical Board at Nuclear Fuel Complex, ECIL Post, Hyderabad – 500 016. This letter will serve as the gate pass to enter the NFC premises for medical examination.

4. यदि संलग्न प्रपत्र में आपकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है या आप उक्त पैरा)3में (चिकित्सा परीक्षण हेतु रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको / उल्लिखित तारीखों पर प्रशिक्षण बिना सूचित किए यहपत्राचार के यह प्रस्ताव रद्द माना जाएगा । If your acceptance is not received in the form enclosed or if you fail to report for training/medical examination on the date indicated in para (3) above, this offer will stand cancelled without any further reference to you.

भवदीय, Yours faithfully,

(वि पद्मिनी V.Padmini)
सहायक कार्मिक अधिकारी
Assistant Personnel Officer

<u>नोट NOTE:</u>

यदि आप किसी केंद्र / राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्यरत हैं या किसी निजी फर्म के अधीन किसी दायित्व हेतु अनुबंधित हैं तो नियोक्ता से प्राप्त कार्यमुक्ति आदेश अवश्य लाएं उसके बिना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगी । IN CASE YOU ARE PRESENTLY EMPLOYED IN ANY CENTRAL/STATE GOVERNMENT/AUTONOMOUS BODY/PUBLIC SECTOR UNDERTAKING OR IF YOU ARE UNDER CONTRACTUAL OBLIGATION TO SERVE ANY PRIVATE FIRM, YOU SHOULD BRING RELIEVING ORDERS FROM THE EMPLOYER, WITHOUT WHICH YOU WILL NOT BE ADMITTED TO THE TRAINING COURSE.

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–I/226177 /XXIV-C-4/2024-01(08)2024
देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश/तैनाती

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित तथा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर–भू–गर्भ विज्ञान को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित राजकीय महाविद्यालयों में निम्नवत तैनाती प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	तैनाती महाविद्यालय
1	2	3
1	निर्मित साह	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)।
2	शुभम गोस्वामी	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)।
3	सीता बोरा	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा (बागेश्वर)।
4	राजकुमार कश्यप	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)।
5	विक्रम सिंह	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल)।

2. उपरोक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के आवेदन पत्रों की छायाप्रति सम्बन्धित प्राचार्यों को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व उनकी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों, आरक्षण प्रमाण–पत्रों तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन एतद् विषयक मूल प्रमाण–पत्रों से करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों का स्वास्थ्य परीक्षण कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र सहित कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सम्बन्धित असिस्टेंट प्रोफेसर को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

4. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को उपरोक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के आवेदन पत्रों को मूलरूप में प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के पूर्ववृत्त सत्यापन, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों, शैक्षिक प्रमाण–पत्रों [illegible] के सत्यापन की कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारी/बोर्ड/सम्बन्धित जिलाधिकारी/शिक्षण संस्थानों

3:37 PM